न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला-ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 110/2023
GCMS NO. : 2023/146

वादिया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जया कच्छावा पत्नी वेंकेटेश पवार जाति-ढोली, निवासी -गिरी, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)		1. इन्द्रा पत्नी देवाराम 2. इन्द्रा पुत्री रायचंद 3. कमला पुत्री रायचंद 4. दिलीप पुत्र देवाराम ना.बा. जरिये कुदरती संरक्षक इन्द्रा पत्नी देवाराम 5. नरेन्द्र पुत्र देवाराम ना.बा. जरिये कुदरती संरक्षक इन्द्रा पत्नी देवाराम 6. पप्पूराम पुत्र रायचंद 7. बाबुलाल पुत्र रायचंद 8. मुन्नी पुत्री रायचंद जाति बावरी निवासी निमाज 9. सुमन पत्नी अशोक कुमार जाति सरगरा निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 10. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 16/06/2023

उपस्थितः-
1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादिया।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 04/01/2024**

वकील मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज चक प्रथम तहसील जैतारण में वादिया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि खाता संख्या 836 खसरा नम्बर 1664 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। वादपत्र में दर्ज कृषि भूमि में वादिया का 1619/18210 वां हिस्सा है, अन्य हिस्सा प्रतिवादीगण का है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार माफिक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है तथा खेतों

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.12 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

के बीच माठें कायम है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1018/4 रकबा 1.8211 हैक्टेयर की भूमि राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में खातेदारान की संयुक्त शामलाती खातेदारी में दर्ज है। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर् के बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। शामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादिया अपने हक-हिस्से की भूमि को काबिल काश्त करने हेतु बैंक से ऋण लेने व किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है व कृषि भूमि को अकृषि कार्य व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु करने में भी परेशानी होती है तथा खसरा नम्बर 1018/4 की भूमि में वादिया के हिस्से को प्रस्तुत नजरी नक्शे में पश्चिमी तरफ लाल रंग से दर्शाया है, मौके पर इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त करती है व अपनी भूमि के बंटवारा बाबत् दिनांक 01.06.2023 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हुये, इतना ही नहीं प्रतिवादीगण शामलाती खातेदारी की भूमि को अन्य किसी अजनबी क्रेता को बैचान, हस्तान्तरण करने व वादीया को उसके हक-हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् एकमात्र विकल्प बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा का वाद पेश किया है। तहसीलदार जैतारण बंटवारे के वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया है। कानून धारा 80(2) सीपीसी के नोटिस देने की आवश्कता नहीं है। बिनाय वाद दिनांक 01.06.2023 को वादीया ने प्रतिवादीगण को वाद में वर्णित भूमि के बंटवाडा करने को कहा तो स्पष्ट इंकार हुये व वादीया को उसके हक-हिस्से की भूमि से बेदखल करने व शामलाती खातेदारी की भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर बमुकाम निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादिया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादिया का साक्ष्य शपथ-पत्र PW-1 पेश किया एवं दस्तावेजात प्रदर्श करवाये जो शामिल मिसल है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा- निमाज प्रथम, पटवार हल्का-निमाज प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक-निमाज, तहसील- जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 1018/4 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 [illegible] काश्तकार दर्ज है, जिसमें बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से [illegible] वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री [illegible] मौजा- निमाज प्रथम, पटवार इस आशय की सादिर की गई कि [illegible] निरीक्षक-निमाज, तहसील- जैतारण, हल्का-निमाज प्रथम, भू अभिलेख [illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 1018/4 रकबा 1.8211

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.12 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

अव्वल की आई हुई है। जिसका वादिया के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2023/648 दिनांक 04.09.2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/5348 दिनांक 03.10.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील वादिया की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादिया ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादिया एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू-अभिलेख के खसरा नम्बर 1018/4 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादिया का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- निमाज प्रथम, पटवार हल्का-निमाज प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में खसरा नम्बर 1018/4 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जया कच्छावा पत्नी वेंकेटेश पंवार जाति ढोली सा0 गिरी खातेदार	1018/8	0.1619	बा.अ.	0.26
2.	इन्द्रा पुत्री रायचन्द्र हि0 3035/16592 कमला पत्नी रायचन्द्र हि0 3035/16592 नाबालिग दिलीप पुत्र देवाराम संरक्षक इन्द्रा हि0 337/16592 नाबालिग नरेन्द्र पुत्र देवाराम संरक्षक इन्द्रा हि0 1012/16592 पप्पुराम पुत्र रायचन्द्र हि0 1395/16592 बाबूलाल पुत्र रायचन्द्र हि0 1416/16592 मुन्नी पुत्री रायचन्द्र हि0 3035/16592 जातिगण बावरी सा0 देह खातेदार रमेश पुत्र मदनलाल हि0 1686/16592 जाति नट सा0 ग्यास खातेदार सुमन पत्नी अशोक कुमार हि0 1641/16592 जाति सरगरा सा0 देह खातेदार	1018/4	1.6592	बा.अ.	2.67

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.12 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.12 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकाम :– जैतारण जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादिया — बनाम — प्रतिवादीगण

वादिया

1. जया कच्छावा पत्नी वेंकेटेश पवार जाति–ढोली, निवासी –गिरी, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रा पत्नी देवाराम
2. इन्द्रा पुत्री रायचंद
3. कमला पुत्री रायचंद
4. दिलीप पुत्र देवाराम ना.बा. जरिये कुदरती संरक्षक इन्द्रा पत्नी देवाराम
5. नरेन्द्र पुत्र देवाराम ना.बा. जरिये कुदरती संरक्षक इन्द्रा पत्नी देवाराम
6. पप्पूराम पुत्र रायचंद
7. बाबुलाल पुत्र रायचंद
8. मुन्नी पुत्री रायचंद
   जाति बावरी निवासी निमाज
9. सुमन पत्नी अशोक कुमार
   जाति सरगरा निवासी निमाज
   तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

तहसीलदार जैतारण भूमिधारी
राजस्थान सरकार।

मु0न0 :रा0वा0स0: 110/2023

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–...... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता वादिया मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा– निमाज प्रथम, पटवार हल्का–निमाज प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक–निमाज, तहसील– जैतारण, जिला–ब्यावर में खसरा नम्बर 1018/4 रकबा 1.8211 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि का बैंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जया कच्छावा पत्नी वेंकेटेश पंवार जाति ढोली सा0 गिरी खातेदार	1018/8	0.1619	बा.अ.	0.26
2.	इन्द्रा पुत्री रायचन्द्र हि0 3035/16592 कमला पत्नी रायचन्द्र हि0 3035/16592 नाबालिग दिलीप पुत्र देवाराम संरक्षक इ[illegible] हि0 337/16592 नाबालिग नरेन्द्र पुत्र देवाराम संरक्षक इ[illegible] हि0 1012/16592	1018/4	1.6592	बा.अ.	2.67

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.12 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

पप्पुराम पुत्र रायचन्द हि0 1395/16592
बाबूलाल पुत्र रायचन्द हि0
1416/16592
मुन्नी पुत्री रायचन्द हि0 3035/16592
जातिगण बावरी सा0 देह खातेदार
रमेश पुत्र मदनलाल हि0 1686/16592
जाति नट सा0 ग्यास खातेदार
सुमन पत्नी अशोक कुमार हि0
1641/16592 जाति सरगरा सा0 देह
खातेदार

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/01/2023 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर(राज0)

	रूपये पैसे	मुख्तायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	8.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.01.12 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested